(13)

पक्षकारों आदि के हस्ताक्षर

न्यायालय श्रीमान् सदस्य/अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर लिंक न्यायालय रीवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक R. 5070-III/17

R 5070-III/17

R8-30/-

बालकिशन विश्वकर्मा पिता श्री रामकृपाल विश्वकर्मा उम्र 40 वर्ष पेशा कृषि व मजदूरी निवासी ग्राम डॉडी थाना व तह. मैहर जिला सतना म.प्र. ....**निगरानीकर्ता**

बनाम्

योगेन्द्र सिंह तनय मणिराज सिंह उम्र 45 साल पेशा खेती एवं व्यापार निवासी किला चौक पुरानी बस्ती मैहर थाना व तह. मैहर जिला सतना म.प्र. ....**गैरनिगरानीकर्ता**

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् राजस्व निरीक्षक मंडल मैहर जिला सतना के सीमांकन प्र.क्र. 41 अ 12/16–17 में पारित आदेश दिनांक 24.01.2017

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 ई.

अधिवक्ता श्री ऋषभ कुमार अग्निहोत्री द्वारा पेश। 16-3-17

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

निगरानी का संक्षपित विवरण निम्न है–

1– यह कि आराजी नं. 259 रकबा 2.75 ए. लगभग भूमि ग्राम डॉडी पटवारी हल्का 40 डॉडी तह. मैहर जिला सतना में स्थित है। जिसके पूर्ण भाग के भूमिस्वामी निगरानीकर्ता के पिता श्री रामकृपाल बढ़ई थे। जिनके तीन पुत्र थे तीनों पुत्रों के मध्य उन्होनें वर्ष 2009 में आपसी बंटनवारा उक्त भूमि का कर दिया था। जिसमें निगरानीकर्ता को 0.259 हे. आराजी प्राप्त हुई थी। जिसका आराजी नं. 259/1 ग है। निगरानीकर्ता के पिता रामकृपाल बढ़ई ने अपना भी हिस्सा उक्त भूमि में लिया था। चारों व्यक्तियों को 1/4 हिस्सा मिला था। अभिलेखों में आराजी नं. 259 में बटांकन पड़ गया था लेकिन मौके से नक्शा तरमीम की कार्यवाही नहीं की गयी। आराजी नं. 259/1 ग में निगरानीकर्ता का मकान व शैष खाली भूमि पर वह ईंटा पथाकर ईंटे का धंधा कर अपना पेट पालता है। गैरनिगरानीकर्ता योगेन्द्र सिंह जो कि प्रापर्टी डीलर व सम्पन्न व्यक्ति है। उसने पिता जी यानी रामकृपाल विश्वकर्मा को बरगलाकर आराजी नं. 259/1 ख के रकबा 0.010 ए. तथा आराजी नं. 259/2 ख रकबा 0.065 हे., 259/2 ख

बालकिशन

Rishika

.........2

(13)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक RS070-II/17 .... जिला सतना

.... बालकिशन मिश्रवकील विरूद्ध योगेन्द्र सिंह ....

1	2	3
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री [illegible] अधिविक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त मैहर के प्रकरण क्रमांक 41/3012/16-17 में तहसील मैहर के प्रकरण क्रमांक ... पारित आदेश दिनांक 2-01-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 25-03-2019 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

~~रकबा 0.010 ए. तथा आराजी नं. 259/2 ख रकबा 0.065 हे., 259/2 ख~~

बालकिशन

.........2